समक्ष आर.एन.मित्तल से पहले जे.

बी.एस. जैन और अन्य,---------- याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,----------प्रतिवादी।

1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 234।

8 अक्टूबर 1980.

भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 14 और 16-हरियाणा अभियन्ता की सेवा द्वितीय वर्ग लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1970 पंजाब अभियन्ता की सेवा वर्ग। लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1964-नियम 2(5), 6 और 8 --व्यक्तियों को द्वितीय श्रेणी के नियमों के तहत अस्थायी अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है - ऐसी सेवा - क्या प्रथम श्रेणी पद के लिए पदोन्नति प्रस्ताव के लिए पात्रता निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए - अस्थायी अभियन्ता के रूप में नियुक्ति पत्र यह निर्धारित करते हैं कि नियुक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। नियम 6 के प्रयोजनों के लिए अस्थायी सेवा के लाभ का दावा करने के लिए शीर्षक - ऐसी शर्त - क्या अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

माना गया कि द्वितीय श्रेणी सेवा को पंजाब अभियन्ता श्रेणी। पी. डब्ल्यू. डी. सेवा के नियम 2 के खंड 5 में परिभाषित किया गया है। (सिंचाई शाखा) नियम 1964 यथासंशोधित। उपरोक्त नियमों का नियम 6 प्रथम श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित है। उक्त नियमों के नियम 8 में प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की विधि का प्रावधान है। नियम 6 में यह भी प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के पास निर्धारित डिग्री या अन्य योग्यताएं हैं। नियमों के परिशिष्ट बी में प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति के हकदार होंगे। इसमें आगे प्रावधान है कि पदोन्नति द्वारा द्वितीय श्रेणी सेवा से नियुक्ति के मामले में, अन्य व्यक्ति जिन्होंने उस सेवा में पूरा कर लिया है, नियमों के प्रारंभ से 10 साल की अवधि के लिए, 6 साल की सेवा और उस अवधि के बाद 8 साल की सेवा। उक्त नियम के खंड (बी) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिसमें यह सिद्धांत बताया गया है कि 8 वर्ष की अवधि की गणना कैसे की जाएगी। वहां यह प्रावधान है कि अस्थायी अभियन्ता के रूप में प्रदान की गई सेवा को उस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रेणी। सेवा में पदोन्नति के लिए, श्रेणी ॥ अधिकारियों की सेवा, जो उनके द्वारा हरियाणा अभियन्ता द्वितीय श्रेणी पी. डब्ल्यू. डी सेवा के तहत अस्थायी अभियन्ता के रूप में प्रदान की गई थी। (सिंचाई शाखा), नियम, 1970 को नियम 6 के खंड (बी) के तहत सेवा की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(पैरा 5)

माना गया कि यदि राज्य किसी भी व्यक्ति को सेवा में लेते समय उस पर कोई शर्त लगाता है कि वह वैधानिक नियमों के लाभ का दावा नहीं करेगा, तो यह भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। (पैरा 7).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

(i) आदेश अनुलग्नक पी-2, जहां तक यह उत्तरदाताओं 3 से 28 तक संबंधित है, को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख प्रकृति की एक रिट जारी की जाए;

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जिसमें उत्तरदाताओं 1 और 2 को याचिकाकर्ताओं पर विचार करने और 20 अक्टूबर, 1978 से कार्यकारी अभियंताओं के पदों पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया था, जब ऐसे व्यक्ति जो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे, आक्षेपित आदेश अनुलग्नक 'पी-2' के आधार पर पदोन्नत किया गया।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे, जारी किया जाएगा;

(iv) मामले का अभिलेख मंगवाने का आदेश दिया जाए;

(v) याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कार्यकारी अभियंताओं के पदों पर पदोन्नति से अनावश्यक रूप से नजरअंदाज किया गया है;

याचिकाकर्ता के वकील, कुलदीप सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से आर. एल. वर्मा, डी.ए.जी., हरियाणा।

प्रलय

राजेंद्र नाथ मित्तल, जे।

(1) यह निर्णय, 1979 की संख्या 234 और 1980 की 172 की दीवानी याचिका का निपटान करेगा जिसमें कानून के समान प्रश्न शामिल हैं। फैसले में तथ्य सी.डब्लू.पी. 1979 की संख्या 234.से दिये जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में सिंचाई शाखा में अस्थायी रूप में अभियन्ता सेवा में तदर्थ के आधार पर

शामिल हुए। क्रमशः 2 जनवरी, 1971 और 19 मई, 1969। उन्हें 21 अप्रैल, 1975 के एक आदेश द्वारा नियमित आधार पर सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था (प्रति अनुलग्नक पी. 1)। वे वैधानिक नियमों द्वारा शासित थे जिन्हें हरियाणा अभियन्ता सेवा वर्ग II, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1970 (इसके बाद वर्ग II नियम के रूप में संदर्भित) कहा जाता है। सहायक अभियंता के पद से अगली पदोन्नति कार्यकारी अभियंता के पद पर होती है जो शासनादेश है। पंजाब अभियन्ता सेवा वर्ग 1 पी.डब्ल्यू.डी. के नाम से जाने जाने वाले नियमों द्वारा संपादित। (सिंचाई शाखा) नियम, 1964 (इसके बाद वर्ग 1 नियम के रूप में संदर्भित)। 1974 के बाद, द्वितीय श्रेणी सेवा के सदस्य यदि 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं तो वे प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए विचार के पात्र बन गए। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने सहायक अभियंता/अस्थायी अभियंता के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और उन्होंने विभागीय और व्यावसायिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली थीं। इसलिए, वे कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के पात्र बन गए। हरियाणा राज्य, प्रतिवादी नंबर 1 ने 20 दिसंबर, 1978 के एक आदेश (प्रतिलिपि अनुलग्नक पी. 2) द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से 28 सहित कई द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया है, इस तथ्य के बावजूद कि वे पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 से 14 ने सहायक अभियंता के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी और प्रतिवादी संख्या 15 से 28 ने नियमों के तहत आवश्यक विभागीय और व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। आगे कहा गया है कि इसने याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार नहीं किया है, जो श्रेणी। नियमों के तहत पदोन्नति के लिए पात्र थे।

(3) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि आदेश परिशिष्ट पी 2 से पता चलता है कि जिन उत्तरदाताओं ने विभागीय, व्यावसायिक और राजस्व परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उन्हें कक्षा जे, नियमों के तहत छूट दी गई थी। लेकिन उक्त छूट अवैध है। परिणामस्वरूप उन्होंने प्रार्थना की है कि 20 दिसंबर, 1978 के आदेश (कॉपी अनुलग्नक पी. 2.) को रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को याचिकाकर्ताओं पर विचार करने और 20 दिसंबर, 1978 से कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाए। , जब उत्तरदाताओं को पदोन्नत किया गया था।

(4) याचिका का उत्तरदाताओं ने विरोध किया है, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं को 1975 में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और जब उत्तरदाताओं को पदोन्नत किया गया तो गया तो उनके पास उनकी सेवा का श्रेय लेने के लिए केवल साढ़े तीन साल का समय था।

सहायक अभियंता के रूप में नियुक्ति से पहले, उन्हें अस्थायी अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और नियुक्ति आदेशों के अनुसार, वे सेवा नियमों के तहत किसी भी वरिष्ठता या अन्य लाभ के हकदार नहीं थे, जो उस समय लागू थे। आगे यह भी कहा गया कि सेवा की अवधि को समयमान में वेतन वृद्धि में नहीं गिना जाएगा। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 3 से 28 याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ थे और उन्हें नियमों में छूट देकर कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसके लिए वर्ग । नियमों के नियम 6 में प्रावधान था। याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत् नहीं किया गया क्योंकि वे प्रतिवादियों से कनिष्ठ थे।

(5) श्री कुलदीप सिंह का पहला तर्क यह है कि अस्थायी अभियन्ता के रूप में याचिकाकर्ताओं की सेवा को प्रथम श्रेणी पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता में गिना जाना चाहिए जैसा कि प्रथम श्रेणी नियमों के नियम 6 (बी) के स्पष्टीकरण में बताया गया है। प्रश्न का निर्धारण करने के लिए संबंधित नियमों का संदर्भ देना आवश्यक होगा। 1975 में संशोधित नियमों के प्रथम वर्ग में 'वर्ग 2 सेवा' शब्द को नियम 2 के खंड (5) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

> "(5) द्वितीय 'वर्ग सेवा' में सेवा में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए, हरियाणा सेवा के अभियन्ता, द्वितीय वर्ग (सिंचाई शाखा), अस्थायी अभियन्ता, कार्यवाहक एस.डी.ओ., कार्यवाहक सहायक डिजाइन अभियन्ता को छोड़कर, के सदस्य शामिल होंगे। जिन्हें हरियाणा अभियन्ता सेवा, द्वितीय श्रेणी, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1970 के नियम 6 के तहत निर्धारित कोटा से अधिक पदोन्नत किया गया है।

नियम 6 कक्षा प्रथम । में नियुक्ति के लिए योग्यता आदि से संबंधित है। उक्त नियम इस प्रकार है:-

"6. किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह-

(ए) इन नियमों के परिशिष्ट बी में निर्धारित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यताओं में से एक रखता है:

बशर्ते कि सरकार द्वितीय श्रेणी सेवा से संबंधित विशेष अधिकारी के मामले में इस योग्यता को छोड़ सकती है।

(बी) द्वितीय श्रेणी सेवा से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में, इन नियमों के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के लिए उस श्रेणी की सेवा पूरी कर ली गई है, छह साल की सेवा और उस अवधि के बाद आठ साल की सेवा:

बशर्ते कि यदि सार्वजनिक हित में एक अधिकारी प्रदान करना आवश्यक प्रतीत होता है, तो सरकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आम तौर पर या किसी व्यक्तिगत मामले में छह या आठ साल की अवधि को उस सीमा तक कम कर सकती है, जैसा वह समझ सकती है। वित्त विभाग के परामर्श से उचित।

स्पष्टीकरण--- इस खंड के प्रयोजन के लिए छह या आठ साल की अवधि की गणना करते समय अस्थायी अभियन्ता के रूप में प्रदान की गई किसी भी सेवा को ध्यान में रखा जाएगा।"

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की विधि प्रथम वर्ग नियमों के नियम 8 में निर्धारित है। इसे पहले 1969 में और फिर 1975 में संशोधित किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि सरकार श्रेणी II सेवा में उनकी वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसे हरियाणा के सदस्य के मामले में गिना जाएगा। जैसा भी मामला हो, उप-विभागीय अधिकारी या सहायक डिजाइन अभियन्ता के रूप में उनके निरंतर पद पर रहने या अस्थायी अभियन्ता के रूप में नियुक्ति की तारीख से अभियन्ता, श्रेणी II (सिंचाई शाखा) की सेवा; एक अस्थायी अभियन्ता के मामले में उसकी नियुक्ति की तारीख से, और एक स्थानापन्न उप-विभागीय अधिकारी या एक सहायक डिजाइन अभियन्ता के मामले में, उसके इस रूप में निरंतर स्थानापन्न की तारीख से। श्रेणी II सेवा की परिभाषा को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि श्रेणी 1 सेवा में पदोन्नति के लिए, श्रेणी II सेवा में श्रेणी II सेवा के सदस्य, अस्थायी अभियन्ता, कार्यवाहक उप-विभागीय अधिकारी और कार्यवाहक सहायक डिजाइन शामिल माने जाएंगे। अभियन्ता. नियम 6 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के पास विश्वविद्यालय से डिग्री या नियमों के परिशिष्ट बी में निर्धारित अन्य योग्यताएं हैं, वह प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नत होने का हक़दार होगा। इसमें आगे प्रावधान है कि द्वितीय श्रेणी सेवा से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में, उसे उस सेवा में, नियमों के प्रारंभ से 10 साल की अवधि के लिए, 6 साल की सेवा और उस अवधि के बाद 8 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रथम श्रेणी नियमों के प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद पदोन्नति की जा रही है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को 8 साल की सेवा पूरी करनी होगी।

(6) खंड (बी) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिसमें यह सिद्धांत दिया गया है कि 8 वर्ष की अवधि की गणना कैसे की जानी है। वहां यह प्रावधान है कि अस्थायी अभियन्ता के रूप में प्रदान की गई सेवा को उस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए, द्वितीय श्रेणी सेवा में प्रवेश करने से पहले एक अस्थायी अभियन्ता के रूप में उसके द्वारा प्रदान की गई द्वितीय श्रेणी अधिकारी की सेवा को नियम के खंड (बी) के तहत उसकी सेवा की गणना के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा। 6. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय श्रेणी सेवा में प्रवेश से पहले तदर्थ आधार पर सिंचाई शाखा में अस्थायी अभियन्ता के रूप में काम किया है। इस प्रकार स्पष्टीकरण के अनुसार, अस्थायी अभियन्ता के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवा को प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए नियम 6 के खंड (बी) के तहत उनके अनुभव के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(7) राज्य का मामला यह है कि जब याचिकाकर्ताओं को अस्थायी नियुक्तियाँ दी गईं, तो नियुक्ति पत्र में यह प्रावधान किया गया था कि वे उस समय लागू सेवा नियमों के तहत किसी भी वरिष्ठता या किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह कहा गया है कि उस खंड के मद्देनजर याचिकाकर्ता उस अवधि को गिनने के हकदार नहीं हैं जिसके लिए उन्होंने नियम 6 के प्रयोजनों के लिए अस्थायी अभियन्ता के रूप में काम किया था। मुझे इस रुख में कोई योग्यता नहीं दिखती। यदि राज्य किसी व्यक्ति को सेवा में लेते समय उस पर कोई शर्त लगाता है कि वह किसी भी वैधानिक नियमों के लाभ का दावा नहीं करेगा, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. नहीं, 172 ऑफ 1980 में सैल्ड क्लॉज के बावजूद वेतन निर्धारण के उद्देश्य से ऐसी सेवा का लाभ दिया गया है। बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली और राजस्थान और अन्य (1) में यह देखा गया है कि अनुच्छेद 14, राज्य को संबोधित एक चेतावनी है और सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान करने का इरादा नहीं रखता है। कुछ अन्य लेख, उदा. अनुच्छेद 19 करते हैं. इस प्रकार राज्य पर लगाया गया दायित्व, इसमें कोई संदेह नहीं, इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन के आवश्यक परिणाम के रूप में, सभी व्यक्तियों के लाभ को सुनिश्चित करता है, वे सभी कानून के समक्ष समानता का आनंद लेते हैं। हालाँकि, यह जनादेश का अप्रत्यक्ष, आवश्यक और अपरिहार्य परिणाम है। अनुच्छेद का आदेश राज्य को निर्देशित है और इस प्रकार राज्य पर लगाए गए दायित्व की वास्तविकता मौलिक अधिकार का माप है

(1) ए.एल.आर. 1959 एस.सी. 149.

जिसका आनंद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उठाना है। अनुच्छेद 14 राज्य के विधायी और कार्यकारी दोनों अंगों और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के लिए निषेधाज्ञा है। इसलिए, अनुच्छेद 14 की भाषा से यह स्पष्ट है कि यह संविधान द्वारा सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में राज्य को स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को लागू करने की दृष्टि से जारी किया गया एक आदेश है, जो प्रत्येक कल्याणकारी राज्य, जैसे जैसा कि भारत से उसके संविधान द्वारा अपेक्षा की जाती है और कोई भी व्यक्ति, किसी भी कार्य या आचरण द्वारा, राज्य को संविधान द्वारा उस पर लगाए गए गंभीर दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है। आगे यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति या नागरिक किसी भी अन्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है या नहीं कर सकता है, वह निश्चित रूप से उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं छोड़ सकता है या माफ नहीं कर सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से उसे इस संवैधानिक आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है। राज्य। श्री कुलदीप सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत बालेश्वर दास आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि (2) का संदर्भ दिया। सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं:-

> ".. यदि कोई लोक सेवक एक दशक तक विशिष्ट पद पर सेवा करता है, जिसे आकस्मिक रिक्ति नहीं बल्कि एक नियमित पद माना जाता है, प्रयोगात्मक रूप से या अन्यथा समय-सम्मानित वर्गीकरण के तहत अस्थायी रखा जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी लंबी पदयात्रा राख में बदल जाए एक लेबल के कारण मृत सागर के फल की तरह और उसके समकक्ष सभी कार्यात्मक मामलों में बराबर हैं, लेकिन दस साल कम सेवा के साथ उससे आगे निकल जाता है क्योंकि उसकी भर्ती एक स्थायी रिक्ति के लिए है? जब तक उचित भेदभाव और सीमाएं न हों, हम पदावनति को कम नहीं कर सकते। "

उत्तरदाताओं के वकील ने लश्कर सिंह और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम (3) पर भरोसा जताया है। किसी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि मामला अलग है और वकील इससे कोई लाभ नहीं उठा सकता। इन परिस्थितियों में, नियुक्ति पत्र का खंड उत्तरदाताओं के लिए कोई मदद नहीं करता है।

(8) उपरोक्त कारणों से, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता वर्ग । नियमों के नियम 6 के तहत वर्ग । में पदोन्नति के उद्देश्य से अस्थायी अभियन्ता के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ पाने के हकदार हैं।

---

(2) सी.ए. 1317-18 सन् 1976 का निर्णय 19 अगस्त 1980 को हुआ।

(3) 1979 (1) एस.एल.आर. 233.

उल्लिखित अर्हताओं में भी सरकार द्वारा ऊपर उल्लिखित आदेश द्वारा छूट दी गई है।। हालाँकि सरकार के लिए योग्यता खंड में ढील देने के लिए वित्त विभाग से परामर्श करना आवश्यक नहीं था, लेकिन ऐसा भी किया गया था। अत: श्री गुप्ता की इन बातों में कोई दम नहीं है।

(12) तीसरा प्रश्न जो निर्धारण हेतु उठता है वह यह है कि क्या सरकार ने विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के संबंध में छूट प्रदान की है। श्रेणी 1 नियमों के नियम 15 में कोई प्रावधान नहीं जोड़ा गया है, जो सरकार को छूट देने के लिए अधिकृत करता हो। हालाँकि, नियम 22 सरकार को नियमों में ढील देने की सामान्य शक्तियाँ प्रदान करता है। उक्त नियम इस प्रकार है:-

> "22. शिथिल करने की शक्ति - (1) जहां सरकार संतुष्ट है कि इन नियमों में से किसी के संचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वह आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को इस सीमा तक समाप्त या शिथिल कर सकती है, और विषय ऐसी शर्तों के लिए, जिन्हें वह मामले से न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे:
>
> बशर्ते कि यदि किसी नियम में छूट में वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं तो एफ.डी. की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी।
>
> (2) * * * * * *."

श्री बी.एस. बंसल, कार्यकारी अभियंता बनाम पंजाब राज्य और अन्य (4) मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि नियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और इसके मात्र पढ़ने से पता चलता है कि इरादा नियम के निर्माताओं का उद्देश्य था कि सरकार को छूट की शक्ति केवल एक व्यक्तिगत मामले में प्रयोग की जाए, न कि किसी सामान्य स्थिति को पूरा करने के लिए। शक्ति का प्रयोग केवल किसी व्यक्ति को हुई किसी भी अनुचित कठिनाई को दूर करने के लिए किया जा सकता है और वह भी तब, जब उस कठिनाई को उचित और न्यायसंगत तरीके से दूर करना आवश्यक हो। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि किसी सामान्य स्थिति से निपटने के लिए छूट की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, तो नियम का पूरा उद्देश्य कुंठित हो जाएगा और सरकार के पास ऐसी मनमानी शक्ति रह जाएगी जो किसी भी कठिनाई को दूर करने के बजाय बड़ी कठिनाई का कारण बन सकती है। नियम निर्माताओं का इरादा कभी भी सरकार को अनियंत्रित और अनिर्देशित शक्ति देने का नहीं था जिसका उपयोग सामान्य तरीके से या किसी

(4) 1978 (2) एस.एल.आर. 553.

विशेष स्थिति से निपटने के लिए किया जा सकता था।आगे यह देखा गया है कि नियम के निर्माताओं का इरादा असाधारण मामले में न्याय करने के लिए सरकार को कुछ शक्ति देना था जब किसी विशेष नियम की प्रयोज्यता के कारण किसी विशेष व्यक्ति के साथ गंभीर अन्याय हो रहा था। उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नियम के तहत छूट की शक्ति का प्रयोग किसी विशेष मामले में कठिनाई को कम करने के लिए किया जा सकता है, आम तौर पर नहीं। राज्य के वकील ने उस आदेश का हवाला दिया है जिसके द्वारा विभागीय राजस्व परीक्षाओं के संबंध में छूट दी गई थी। वहीं कहा गया है कि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुए विभागीय राजस्व परीक्षाओं की शर्तों में ढील दी जाएगी । ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश सामान्य शर्तों के अनुरूप पारित किया गया है न कि उक्त धारा के अनुरूप। इसलिए, आदेश का प्रतिवादी संख्या 10 से 12 को विभागीय परीक्षाओं के संबंध में छूट देने वाला हिस्सा अच्छा नहीं है।

(13) उपरोक्त कारणों से, मैं दोनों रिट याचिकाओं को खर्चे सहित स्वीकार करता हूँ, जहां तक ये उत्तरदाताओं से संबंधित हैं, लागू आदेशों को रद्द करता हूं और राज्य सरकार को निर्देश देता हूँ कि वह ऊपर दी गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय ले। प्रत्येक मामले में वकील शुल्क 200 रुपये ।

एच. एस. बी.

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator:

Pooja Rani